सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की चीफ जस्टिस को लिखी गोपनीय चिट्ठी

(हिंदी अनुवाद रविश कुमार)

प्रिय मुख्य न्यायाधीश जी,

बड़ी नाराज़गी और दुख के साथ हमने सोचा कि यह चिट्ठी आपके नाम लिखी जाए ताकि इस अदालत से जारी किए गए कुछ आदेशों को चिंहित किया जा सके, जिन्होंने न्याय देने की पूरी कार्यप्रणाली और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता के साथ-साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के काम करने के तौर-तरीक़ों को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है।

जब से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई उसी समय से ही न्यायिक प्रशासन में कुछ मान्यताएं और परंपराएं भी स्थापित हुई हैं। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना के लगभग सौ साल बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। ये वो परम्पराएं हैं, जिनकी जड़ें अंग्रेजी न्यायतंत्र में थी।

स्थापित सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि रोस्टर का फैसला करने का विशेषाधिकार प्रधान न्यायधीश के पास है, जिससे कि यह व्यवस्था निर्बाध बनी रहे कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सदस्य और कौन सी पीठ और किस मामले का सुनवाई करेगी। यह परंपरा इसलिए भी बनाई गई है ताकि अदालत का कामकाज अनुशासित और सुचारू तरीके से चलता रहे। यह परंपरा प्रधान न्यायधीश को अपने सहयोगियों के ऊपर अपनी बात थोपने की इजाजत नहीं देती है।

हमारे देश के न्यायतंत्र में यह बात भी पूरी तरह स्थापित है कि प्रधान न्यायधीश सभी न्यायधीशों के बराबर है-बस सूची में पहले नंबर पर है, न उनसे कम और न ही उससे ज्यादा। रोस्टर तय करने के मामले में पूर्व स्थापित और मान्य परंपराएं रही हैं कि प्रधान न्यायधीश मामले की ज़रूरत के हिसाब से ही पीठ का निर्धारण करेंगे।

उपरोक्त सिद्धांत के बाद अगला तर्कसंगत कदम ये होगा कि इस अदालत समेत अलग-अलग न्यायिक इकाइयां ऐसे किसी मामले से खुद नहीं निपट सकती, जिनकी सुनवाई किसी उपयुक्त बेंच से होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों नियमों का उल्लंघन करने से दुखद और अवांछित परिणाम होगें जिससे न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा को लेकर देश की राजनीतिक के मन में संदेह पैदा होगा। साथ ही, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हंगामा मचेगा जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।

हम यह बताते हुए बेहद निराश हैं कि

दीपक मिश्रा बेहद निरंकुश और लाचार सीजेआई हुए; सहयोगियों के प्रति निरंकुश और सत्ता के सामने लाचार!

पिछले कुछ समय से जिन दो नियमों की बात हो रही है, उसका पालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें देश और संस्थान पर असर डालने वाले मुकदमे इस अदालत के आपने %अपनी पसंद की% बेंच को सौंप दिए, जिनके पीछे कोई तर्क नज़र नहीं आता। इसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए।

हम इसका पूरा विवरण इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन इसका जरूर खयाल रखा जाना चाहिए कि इस सबके चलते ही कुछ हद तक पहले से ही इस संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच चुका

है।

इस संदर्भ में हमें लगता है कि 27 अक्टूबर 2017 के आर पी लूथरा बनाम भारतीय गणराज्य वाले मामले को आपके ध्यानार्थ लाया जाए। इसमें कहा गया था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए 'मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर' को अंतिम रूप देने में अब और बिलंब नहीं करना चाहिए। जब मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड ए एन आर बनाम भारतीय गणराज्य मामले में संवैधानिक पीठ का हिस्सा था, तो ये समझना मुश्किल है कि कोई अन्य पीठ इस मामले क्यों देखेगी।

इसके अलावा संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद आप समेत पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने विस्तृत चर्चा की थी और मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को अंतिम रूप देकर मार्च 2017 में प्रधान न्यायधीश ने उसे भारत सरकार के पास भेज दिया था। भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस चुप्पी को देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (सुपरा) मामले में इस अदालत के फैसले के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए किसी भी मुकाम पर पीठ को मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को अंतिम रूप देने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं देनी थी या फिर इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता था।

चार जुलाई 2017 को इस अदालत के सात जजों की पीठ ने माननीय न्यायधीश सी एस कर्णन (2017, 1स्प्ष्ट1) को लेकर फैसला सुनाया था। उस फैसले में (आर पी लूथरा के संदर्भ में) हम दो जजों ने व्यवस्था दी थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। साथ ही हमें महाभियोग से अलग भी कोई दूसरे उपाय के बारे में सोचने की जरूरत है। मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को लेकर सातों जजों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को लेकर किसी भी मुद्दे पर प्रधान न्यायधीशों के कॉन्फ्रेंस और सभी जजों वाली अदालत में विचार होनी चाहिए। ये मामला बहुत ही अहम है और अगर न्यायपालिका को इस पर विचार करना है तो इसपर विचार करने की जिम्मेदारी सिर्फ संवैधानिक पीठ दी जानी चाहिए।

उपरोक्त घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। भारत के माननीय प्रधान न्यायधीश का यह कर्तव्य है कि इस स्थिति को कॉलेजियम के दूसरे सदस्यों के साथ सुलझाएं और और बाद में अगर जरूरत पड़े तो इस अदालत के माननीय न्यायधीशों के साथ विचार-विमर्श करके इसमें सुधार करना चाहिए।

एक बार आपकी तरफ से आर पी लूथरा बनाम भारतीय गणराज्य से जुड़े 27 अक्टूबर 2017 के आदेश वाले मामले को निपटा लिया जाए। अगर उसके जरूरत पड़ी तो हम आपको इस अदालत द्वारा पारित अन्य कई ऐसे न्यायिक आदेशों के बारे में बताएंगे, जिनसे इसी तरह तत्काल निपटाए जाने की जरूरत है।

सादर,

जे चेलमेश्वर, रंजन गगोई, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसफ।

विवाद के केन्द्र में हैं जज अरुण मिश्रा

नरेन्द्र मोदी पर सहारा-बिड़ला से घूस लेने का आरोप लगा. मामला पहुंचते-पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. एक थे अरुण मिश्रा और दूसरे अमिताभ रॉय. मामला ख़ारिज कर दिया गया।

दोनों के नाम रट लीजिए।

कल की पीसी और चिट्ठी में चारों जजों ने दीपक मिश्रा पर ये आरोप लगाया कि वो अरुण मिश्रा को अहम केस रेफ़र कर देते हैं.

लालू यादव पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी. उनमें भी दो जज थे. अरुण मिश्रा और अमिताभ रॉय।

जस्टिस लोया हत्याकांड मामले में भी अरुण मिश्रा सुनवाई कर रहे हैं. लोया और सोहराबुद्दीन शेख की हत्या को लेकर शक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर है।

सारे पॉलिटिकली क्रूशियल केस अरुण मिश्रा की बेंच में जाते हैं।

ये जो अमिताभ रॉय हैं, यूपी मेडिकल कॉलेज घोटाला मामले में दीपक मिश्रा के साथ इन्होंने ही मिलकर कॉलेज को राहत दी थी।

- दिलीप मंडल

खट्टर का गीता लूट 'कर्मोत्सव'

-उपेंद्र चौधरी

कहते हैं कि धर्म जब सड़क पर आ जाय, तो वह सियासत बन जाता है और सियासत जब धर्म का दामन थाम ले, तो धर्म खुद न होकर कुछ और हो जाता है। ऐसे तो पूरी दुनिया में ही अलग-अलग धर्म स्वयं न होकर कुछ और हो जा रहे हैं। मगर कुछ और हो जाने का नया ज़रिया कर्मवाद की बुनियाद मानी जाती 'गीता' को बनाया गया है।

हरियाणा सरकार गीता महोत्सव मनाती रही है। लेकिन दो सालों से जो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, वो सांस्कृतिक महोत्सव ज़रूर है, मगर जनता के पैसे का लूट महोत्सव भी कम नहीं है। दो सालों में 40 करोड़ रुपये इस महोत्सव पर खर्च किये गये हैं। मगर परिणाम का अंदाज़ा आरटीआई कार्यकर्ता राहुल सहरावत के पूछे गये सवालों के जवाब में मिली सूचनाओं से मिलती है। ये सूचनायें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ़ से दी गयी हैं।

दी गयी जानकारियों में बताया गया है कि सरकार की तरफ़ से गीता की दस प्रति की ख़रीद की गयी और इसके लिए विक्रेता को 3,79,500 रुपये भुगतान किये गये। यानी गीता की एक प्रति की क़ीमत लगभग 38,000 रुपये। अच्छे कलेवर के साथ संपूर्ण व्याख्या वाली गीता भी दो से तीन सौ में मिल जाती है। सवाल उठता है कि आखिर इस गीता में ऐसा क्या था कि सरकार ने एक प्रति की क़ीमत लगभग 38,000 रुपये देना मुनासिब समझा !

चकित होने की सीमा यहीं ख़त्म नहीं होती। आरटीआई कार्यकर्ता को मिली जानकारी में यह भी बताया गया है कि सत्ताधारी पार्टी के ही सांसद मनोज तिवारी को एक पर्फ़ार्मेंस के लिए 10 लाख रुपये चुकाये गये। मनोज तिवारी गायक और अभिनेता हैं। कथित तौर पर धर्म को महत्व देने वाली इस सरकार का सांसद क्या अपनी राजनीतिक सहयोगी धर्म के इस महोत्सव पर चैरिटी पर्फ़ार्मेंस नहीं दे सकते थे। और अगर फीस ही वसूलनी थी, तो क्या महज़ एक पर्फ़ार्मेंस के लिए इतनी मोटी फ़ीस !

इसी आरटीआई में यह भी बताया गया है कि समारोह के लिए 30 हजार के गमले, 2 लाख के थैले, 3 लाख के मोमेंटो ख़रीदे गए। सरकार ने 6 लाख रुपए जादूगर और हेमामालिनी के शो पर 15 लाख रुपये खर्च किए।

इस सरकार का दावा है कि सरकार चलाने में भी कोई तामझाम नहीं है, किसी तरह के दिखावे पर खर्च नहीं है। सरकारी विज्ञापनों में भी यही सीख दी जाती है कि शादी-विवाह या किसी भी तरह के समारोह में दिखावे पर खर्च नहीं किया जाय। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मानता है और यही कारण है कि संघ ने इस खर्चे को लेकर अपनी नाराज़गी जतायी है।

गीता के बारे में आम लोगों का ख़्याल तो यही है कि यह पुस्तक, व्यक्ति को मोह-माया से मुक्त करने की सीख देती है और सिर्फ़ अपने कर्म पर ध्यान देने की बात बताती है। गीता के द्वितीय अध्याय के सैतालिसवें श्लोक में कहा गया है कि सिर्फ़ कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, उसके परिणाम पर इंसान का वश नहीं। इसलिए कर्म को परिणाम के लिए नहीं करना चाहिए और न ही काम करने में आसक्ति होनी चाहिए। संत-फ़कीर इस श्लोक को दुहराते चलते हैं ताकि परिणाम से बंधा हुआ कर्म करने से वो बचे रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी संघ के प्रचारक रहे हैं। देश-दुनिया की ख़ातिर शादी नहीं की है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी ज़िंदगी बेहद सादगी भरी थी। पूरी तरह अकिंचन, संग्रह में विश्वास नहीं, हर सांस में फ़कीरी। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब वो लालक़िले के आस-पास कारोबार किया करते थे। संघ से जुड़कर ही गीता के जीता जागता यह श्लोक बन गये, व्यापार पीछे छूट गया;

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

लेकिन गली-मुहल्लों से होते-विचरते सत्तासीन होने के बाद सत्ता का रंग एक स्वयंसेवी के रंग को मात दे गया। स्वयंसेवकों के मुताबिक़ संघ में सादगी और मानवसेवा की सीख दी जाती है; राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और नेतृत्व के कर्मों का अनुसरण उनके अनुयायी करते हैं। जिस राज्य का एक हिस्सा बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए तरस रहा हो, वो अपनी उम्मीदें गुरुमीत राम रहीम और रामपालों के चमत्कार सरीखे अंधविश्वास में पाल रहा हो, वहां गीता महोत्सव के दौरान हुए इन खर्चों के ज़रिये किस तरह के रास्ते तलाशे गये, जिन रास्तों पर जनता सुशिक्षित हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो और तर्कवादी रास्ते पर चलकर राष्ट्रनिर्माण में सहायक हो। सही अर्थों में किसी नेतृत्व के लिहाज़ से यह राष्ट्रवाद के ठीक उल्टा आचरण है, क्योंकि गीता का तीसरे अध्याय का इक्कीसवां श्लोक तो यही कहता है कि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण यानी जो-जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य (आम इंसान) भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह (श्रेष्ठ पुरुष) जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव-समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

मगर गीता की इस परंपरा को खट्टर नहीं मानते। वो बेफ़िक्री से कहते हैं, 'हमने डंके की चोट पर खर्च किया है और आगे भी करेंगे'। मनोहर लाल ने कहा, 'हम जो करते हैं उससे मनुष्य निर्माण, समाज निर्माण, सामाजिक चेतना जागृत होती है'। सरकार का दावा है कि इस गीता महोत्सव के आयोजन पर ज़ोर का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक़ इस महोत्सव में सिर्फ़ बीस विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया, जबकि कुरुक्षेत्र एक ऐसा पर्यटक स्थल है, जहां बिना किसी महोत्सव के भी दशकों से यहां विदेशी पर्यटक आते रहे हैं। आख़िरकार कथित तौर पर गीता को ज़्यादा समझने वाले संगठन से आने वाले मनोहर लाल खट्टर शायद यह भूल गये हैं कि गीता के चौथे अध्याय के सातवें श्लोक में कहा गया है, 'हे भारत (अर्जुन), जब-जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब-तब मैं (श्रीकृष्ण और विशेष अर्थ में जनता जनार्दन) धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयम् की रचना करता हूं अर्थात् अवतार लेता हूं'।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥